रसोई गैस की कमी का पता लगाने हेतु मानदंड

1204. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस की कमी का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनके संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को रसोई गैस की कमी होने की सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू): (क) किसी खास डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में एल पी जी रिफिल आपूर्तियों की कमी निम्नवत परिकलित की जाती है:

(1) डिस्ट्रीब्यूटर के पास लंबित रिफिल आर्डरों (बुकिंग) की कुल संख्या।

(2) 24 घंटों के अंतर्गत रिफिल आर्डर बुकिंग की संख्या।

(3) दोहरे बाटल कनेक्शन ग्राहकों द्वारा बुक कराये गए रिफिल आर्डरों की संख्या।

(4) रिफिल बकाया = (1) - (2+3)।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान रिफाइनरियों की आयोजित/अनायोजित बंदियों, आई आर समस्याओं, सड़क संबंधी रुकावटों जैसे अनेक कारणों की वजह से देश के विभिन्न भागों में एल पी जी आपूर्ति के अंतर्गत बकाया के विषय में रिपोर्ट की गई है। यह बकाया वर्धित घंटों तथा छुट्टी के दिनों में भरण संयंत्रों के प्रचालन के माध्यम से एल पी जी की आपूर्ति बढ़ाकर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके पूरा किया जाता है।

Commitment charge on liquid fuel purchases

1205. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government propose to impose a commitment charge of Rs. 11.5 lakh per MW on private power producers to State owned oil companies against liquid fuel purchases i.e. naptha and furnace oil which are sourced in international market;

(b) whether this was challenged by Independent Power Producers and Government had agreed to drastically reduce it to Rs. 4.5 lakh per MW; and

(c) if so, the details of the agreement finally reached on this account?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) The public sector oil companies originally proposed to collect 50% of the capital involved for development of infrastructure to meet the liquid fuel requirement of the Independent Power Producers (IPPs) as commitment charge which is refundable along with interest, to ensure utilisation of the infrastructure by the IPPs.

(b) and (c) The Ministry of Power requested for considering a deposit of 1% of the capital cost of the project which would be about Rs. 3 lakhs per MW as commitment charge from the IPPs. Based on the feedback received from the Ministry of Power and the oil companies, the Ministry of Petroleum and Natural Gas have commitment charge of Rs. 5 lakhs per MW from all the IPPs, irrespective of location/fuel and the balance would be secured from the IPPs by way of an unconditional, irrevocable and on-demand bank guarantee of a scheduled